राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
State Level Bankers' Committee, Jharkhand

संयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2024-25/433 **दिनांक : 05/02/2025**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 89वीं त्रैमासिक (सितम्बर 2024) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 18.01.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 89वीं॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 07 फरवरी 2025 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

सी. गोपाल कृष्णा

उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

कार्यालय : "ईश्वरी आर्केड", छठा तल, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, 5, मेन रोड, राँची - 834001 • Office : "Ishwari Arcade", 6th floor, Opposite Hotel Radisson Blu, 5, Main Road, Ranchi - 834001
Tele : 0651-2332834, Tele/fax : 0651-2332319 • Email : SLBC.Jharkhand@bankofindia.co.in

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
विशेष एसएलबीसी
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 18-01-2025
स्थान– उत्सव हॉल, बीएनआर चाणक्य, राँची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 89वीं त्रैमासिक बैठक (विशेष एसएलबीसी) की कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 89वीं त्रैमासिक बैठक ,विशेष एसएलबीसी के तौर पर, दिनांक 18-01-2025 को उत्सव हॉल, बीएनआर चाणक्य, राँची में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री एम. कार्तिकेयन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्य अतिथि की तौर पर माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री राधा कृष्ण किशोर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की सम्मालित हुए। उक्त बैठक में वित्त विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री प्रशान्त कुमार,भा॰प्र॰ से॰, एस॰एल॰बी॰सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुनील कृष्ण जहगीरदार, एस॰एल॰बी॰सी के उप महाप्रबंधक, श्री सी एच गोपाला कृष्णा एवं भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय की उप महाप्रबन्धक श्रीमति अनामिका शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कु॰ सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभास बोस, एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः रहे-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

सर्वप्रथम श्री कुमार ने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख, अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को राज्य की बैंकिंग गतिविधियों को निरंतरता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया तथा इस क्रम मे वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया।

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सदन को बताया कि, यह पहली बार है जब झारखंड राज्य का ऋण जमा अनुपात 50% के आंकड़े को पार कर गया है और यह सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इसके लिए उन्होने सभी हितधारकों को ढेर सारी बधाई दी और बताया कि 30 सितंबर 2023 को जहां यह अनुपात 45.04% था, वहीं 30 सितंबर 2024 को यह बढ़कर 50.22% हो गया है, जो वर्ष दर वर्ष 11.50% की वृद्धि को दर्शाता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री मनोज कुमार ने खातों में re-kyc लंबित होने कि समस्या के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होने राज्य में Re-KYC से संबंधित खातों की भारी संख्या में पेंडेंसी पर खेद जताया। उन्होने कहा कि PMJDY के दस वर्ष पूर्ण होने के कारण re-kyc कि समस्या और जटिल होने कि उम्मीद है। उन्होने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख और सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक से निवेदन किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी शाखाओं को सख्त निर्देश दें, कि लंबित re-kyc कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कुमार ने सरकारी खातों में हुई धोखा धड़ी के मुद्दे को सभा के समक्ष रखा। उन्होने बताया कि क्यूंकि यह अत्यंत गंभीर विषय है, सभी को इस पर गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद एसएलबीसी ने एक विशेष बैठक का प्रयोजन कर संबन्धित बैंक के राज्य प्रमुखों से घटना का विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त किया एवं उसका संज्ञान लेते हुए इस पर किस तरह व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि fraud हो हीं नहीं और अगर होता है तो उसे त्वरित गति से पकड़ा जाए ताकि वित्तीये क्षति को लघुतम किया जा सके। उन्होने कहा कि हर बैंक अपने अपने स्तर पर इस विषय पर चिंतन कर, सुझाव एसएलबीसी के साथ साझा करे ताकि एसएलबीसी के द्वारा राज्य सरकार और आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार एक SoP बनाई जा सके, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो।

(एक्शन- बैंक, एसएलबीसी, आरबीआई और राज्य सरकार)

- महाप्रबंधक एसएलबीसी ने झारखंड राज्य में कार्यरत RSETIs का मुद्दा सभा में उठाया। उन्होने बताया राज्य में कुल 24 RSETI और 01 RUDSETI कार्यरत हैं और ***ये संस्थान विभिन्न बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं: बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 12 RSETI, इंडियन बैंक द्वारा 03, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 08, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 01, और केनरा बैंक द्वारा 01 RUDSETI।*** उन्होने RSETI के प्रदर्शन पर अपना खेद जताते हुए कहा कि हमारे RSETI का प्रदर्शन अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। ट्रेनिंग, सेटलमेंट, और क्रेडिट लिंकेज इन तीनों प्रमुख मापदंडों में हमारा राज्य पिछड़ रहा हैं, उन्होने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को RSETI से प्राप्त सभी पात्र आवेदनों को त्वरित स्वीकृत करने का आदेश दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बैंकों को 3.00 लाख रुपये तक की घरेलू आय वाले छोटे कर्जदारों के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिन्हें राज्य में ठीक से लागू नहीं किया जा सका है, उन सभी प्रमुख योजनाओं को धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है।

  उन्होने आगे अपने सम्बोधन में बताया की राज्य में लगभग 2,40,000 एसएचजी समूह हैं, जिनसे लगभग 24 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और इन्हें बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जा चुका है। आगे उन्होने राज्य सरकार से उचित गुणवत्ता वाले पशु/चूज़ा उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया ताकि यह महिलाएं इन्हें खरीदने हेतु micro credit plan बनाकर बैंकों से तीसरे लिंकेज के तहत ऋण ले सकें साथ ही छोटे डेयरी एवं पौल्ट्री फार्म का इन्शुरेंस कवरेज करा जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

- श्री कुमार ने कुछ मुद्दों पर सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया उनमें से एक मुद्दा महिला स्वयं सहायता समूहों को कम औसत ऋण उपलब्ध कराना रहा। उन्होंने बताया की ऐसी बहुत कम स्वयं सहायता समूह हैं जिन्हें 10 लाख और 20 लाख रुपये से अधिक का वित्त पोषण बैंकों के द्वारा प्राप्त है, उन्होंने बैंकों के राज्य प्रमुखों से एसएचजी के औसत ऋण आकार में सुधार करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने केसीसी खाते में ब्याज सहायता राशि (Interest Subvention) कम claim होने का मुद्दा सभा में उठाया। उन्होंने कहा कि जब बैंककर्मी त्वरित भुगतान करने पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर केसीसी ऋण उपलब्ध होने के बारे में किसानों को बताते हैं, तो अक्सर वे पैसे के अभाव में ऋण चुकौती में अक्षमता जताते हैं फलस्वरूप उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ नहीं मिल पाता, साथ ही बैंकों को भी केसीसी के renewal/rollover में समस्या का सामना करना पड़ता है।

महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि, 3.00 लाख रुपये तक का केसीसी ऋण, शून्य प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होने के बारे में बैंक नियमित रूप से किसानों को जागरूक कर रहा हैं। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री और वित्त सचिव को यह भी बताया कि केसीसी ऋण पर किसानों को जागरूक करने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहा हैं और बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एफडीएलसी फंड की भी मदद ले रहा हैं। उन्होंने एफडीएलसी के तहत प्रति कैंप बैंकों को 5,000 रुपये की धनराशि देने के लिए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक को धन्यवाद दिया और उन्होने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी तंत्र भी किसानों को केसीसी ऋण को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध है उसके लिए जागरूकता पैदा करें।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने सदन को PMFME, AIF, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना आदि के तहत ऋण देने में बैंकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक इन इकाइयों को वित्तपोषित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि राज्य में सीएनटी तथा एसपीटी अधिनियम लागू होने के कारण बैंक इन इकाइयों की प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security) गिरवी रखने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए, आवेदनों में बड़ी संख्या में अस्वीकृतियां हो रही हैं। उन्होंने राज्य सरकार को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के तर्ज पर फूड पार्क झारखंड राज्य में भी विकसित करने का सुझाव दिया ताकि इकाइयों को आसानी से स्थापित किया जा सके और बैंकों द्वारा वित्त पोषित भी किया जा सके। उन्होने बताया कि agricultural infrastructure सुविधा नहीं होने से किसानों को अनाज भंडारण, प्रोसेसिंग, विपणन एवं आधुनिक खेती में बहुत समसायाओं का सामना करना पड़ता है और उत्पादक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है।

  श्री कुमार ने आगे कहा कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट लागू होने के कारण राज्य के बैंक झारखंड के लोगों को कई बार आवास ऋण देने में भी असमर्थ रहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से औद्योगिक पार्क और फूड पार्क विकसित करने का अनुरोध किया ताकि झारखंड राज्य भी अन्य सभी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

अपने अभिभाषण के अंत में श्री कुमार ने **RBI,** राज्य सरकार**, NABARD** को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली श्री अंजनी कुमार ठाकुर का सम्बोधन-

- निदेशक, डीएफएस ने अपने संबोधन में कहा कि वह 89वीं एसएलबीसी बैठक का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि एसएलबीसी एक शीर्ष संस्थागत मंच है जिसे राज्य में नीति कार्यान्वयन स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समन्वय, तंत्र बनाने के मूल उद्देश्य से बनाया गया है।

  उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय सेवाएं विभाग ने निदेशक से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्य-स्तरीय समन्वयक नियुक्त किया हैं और प्रत्येक अधिकारी को एक राज्य कि ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है एवं इन सभी अधिकारियों को डीएफएस द्वारा दी गयी SoP के तहत कार्य करना है। उन्होंने कहा कि ये अधकरी आरबीआई कि लीड बैंक स्कीम से भी मार्गदर्शन लेते हैं जिसमें एसएलबीसी बैठक आयोजित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश शामिल हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री अंजनी कुमार ठाकुर ने सदन को सूचित किया कि डीएफएस के अधिकारियों की प्रमुख भूमिका कुछ मापदंडों कि निगरानी करना है जो उन्होने निमन्वत बताए: सरकार की प्रमुख योजनाओं में प्रदर्शन, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार, वित्तीय साक्षरता, ऋण जमा अनुपात में सुधार, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और विशेषकर वित्तीय समावेशन है। उन्होंने सदन को आगे बताया कि सचिव, डीएफएस ने हाल ही में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा बैठक की और यह भी कहा कि वित्तीय सेवाएं विभाग अपने स्तर पर नियमित रूप से सभी वित्तीय समावेशन योजनाओं के साथ-साथ ऊपर बताए गए व्यापक मापदंडों के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री ठाकुर ने अपने भाषण में विभिन्न सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों के संबंध में फील्ड मशीनरी को संवेदनशील बनाने में अग्रणी जिला प्रबंधकों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि एलडीएम को इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक नामांकन प्राप्त कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)

- श्री ठाकुर ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होने कहा कि सरकारी प्रमुख योजनाओं में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन निराशाजनक है। उन्होंने एसएलबीसी को निजी क्षेत्र के बैंकों की नियमित समीक्षा बैठक करने की सलाह दी ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सके।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं निजी क्षेत्र के बैंक)

- निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग ने बताया कि बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने रेखांकित किया था कि शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और सड़क विक्रेताओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने वाली योजनाओं जैसे कि पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा के कार्यान्वयन को अधिक से अधिक महत्व देने कि आवश्यकता है। उन्होने आगे बताया कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में कुछ प्रमुख योजनाएं है जिनपर सभी बैंकों को अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता है वो हैं: पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और हाल ही में शुरू की गई योजना पीएम सूर्यघर योजना। उन्होंने सभी बैंकों और एलडीएम से राज्य में इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- श्री ठाकुर ने कहा कि RSETI और SHG पर एसएलबीसी उप समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है, इसलिए उन्होंने एसएलबीसी से उक्त समितियों के संयोजक के समक्ष इस मामले को उठाने और बैठक नियमित रूप के करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं JSLPS)

ग) <u>व्यवसायिक सत्र</u>

व्यावसायिक सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री रौशन चौधरी द्वारा किया गया, इस सत्र में श्री चौधरी ने सभा अध्यक्ष श्री कार्तिकेयन एवं अन्य गणमान्यों की सहभागिता से सभी बैंक व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा करी। व्यावसायिक सत्र के दौरान निकले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे निम्नलिखित रहे:

- श्री चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य की जमा राशि में साल दर साल 9.04 प्रतिशत, अग्रिम में 21.58 प्रतिशत और ऋण जमा अनुपात में 11.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- उन्होंने सदन को आगे बताया कि **30 सितंबर 2024** तक राज्य ने एसीपी के तहत 29 प्रतिशत, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 13.28 प्रतिशत, गैर प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 24.62 प्रतिशत, कृषि ऋण के तहत 16.14 प्रतिशत और एमएसएमई के तहत 14.84 प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि देखि गयी है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि अटल पेंशन योजना नामांकन में पिछले वर्ष सितंबर 2023 की तुलना में इस वर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पीएमजेडीवाई खातों में 6.00 प्रतिशत और कमजोर वर्ग के खातों में 17.58 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में साल दर साल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति(**NPA**) में 13.56 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जिससे पता चलता है कि पिछले वर्ष सितंबर तिमाही की तुलना में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- एसएलबीसी के वरिष्ठ प्रबंधक ने राज्य सरकार की पास लंबित निम्नलिखित मुद्दे सभा के समक्ष रखे-
    - जिनमें वर्तमान में **24** जिलों में से **05** उग्रवाद से प्रभावित जिलों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना रहा, जिसके कारण बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    - छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, **1908** और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, **1949** राज्य में बैंकों के लिए बड़ी बाधाएं हैं। बैंक इन अधिनियमों के दायरे में आने वाली संपत्तियों को बंधक बनाने में असमर्थ हैं। राज्य में क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के दायरे में आता है और बैंकों को राज्य में अपनी ऋण वृद्धि बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस बावत सरकार की उचित कार्यवाही अपेक्षित है।
    - स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता अध्याय शामिल करना: श्री चौधरी ने बताया की स्कूल पाठ्यक्रम में 70 में से 37 अध्याय शामिल किये जा चुके है। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि शेष अध्यायों को भी यथाशीघ्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।
    - श्री चौधरी ने कहा की बैंकों के पास बंधक रखी जाने वाली सभी सम्पत्तियों पर बैंक **के चार्ज / अधिकार की नोटिंग विशेषकर ऑनलाइन पद्धति से यदि रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाय तो इससे पारदर्शिता आएगी।**
    - उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि बिना भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (**LPC**) के केसीसी की सीमा 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये कर दी जाये। उन्होंने आगे बताया कि आरबीआई के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, बैंक संपत्ति को गिरवी रखे बिना 2.00 लाख रुपये तक के केसीसी का वित्तपोषण कर सकते हैं, जो सीमा पहले 1.60 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि सीमा वृद्धि से किसानों को केसीसी के तहत अधिक राशि प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- वरिष्ठ प्रबंधक एसएलबीसी ने कृषि उप समिति के दौरान ज़िक्र किए गए, राज्य सरकार द्वरा विकसित-बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिय विशेष सचिव कृषि विभाग श्री प्रदीप हज़ारी जी से आग्रह किया

  कृषि विभाग के विशेष सचिव, श्री प्रदीप हजारी ने बताया कि निकट भविष्य में एक मास्टर लॉगिन एसएलबीसी को दिया जाएगा, जिसके पश्चायत एसएलबीसी संबंधित बैंकों की लॉगिन आई०डी बनाएगा और बैंक अपनी शाखाओं के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करेगा। उन्होने यह भी जानकारी दी कि पोर्टल में 36.84 लाख लाभार्थियों का डेटा होगा जो अगले 15 दिनों में पोर्टल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि, पोर्टल में 16 लाख किसानों के भूमि रिकॉर्ड और किसान विवरण के साथ-साथ बैंक खाते और बैंकों द्वारा प्राप्त सुविधा भी दर्शायी जाएंगी उसके बाद आने वाले दिनों में लगभग 35 लाख किसानों का अतिरिक्त विवरण उनके भूमि रिकॉर्ड के साथ अपलोड किया जाएगा।

(एक्शन- कृषि विभाग, झारखंड सरकार)

- श्री कार्तिकेयन ने बैंकों के राज्य प्रमुखों से पूछा कि क्या उन्हें एफपीओ के वित्तपोषण में समस्या आ रही है? उन्होंने कहा 30 सितम्बर 2024 तक केवल कुछ ही बैंकों द्वारा एफपीओ को वित्त पोषण किया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से एफपीओ को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे ऋण देने या पंजीकृत एफपीओ को भी वित्तपोषित करने का अनुरोध किया।

  आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि यह सही मंच है जहां बैंक एफपीओ के वित्तपोषण में आने वाली बाधाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उन्होंने सभी बैंकों को सुझाव दिया कि यदि उनके सामने कोई बाधा आ रही है तो वे एसएलबीसी को अपना सुझाओ दें सकते है।

  मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने कहा कि नाबार्ड ने हाल ही में एफपीओ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। उन्होंने आगे बताया कि अगर बैंक चाहें तो, नाबार्ड, बैंक के शाखा प्रबन्धकों के लिए भी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था कर सकता है और उनके लिए एक एक्सपोज़र विजिट भी आयोजित कर सकता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी बैंक को एफ़पीओ को वित्तपोषित करने में कोई समस्या आ रही है तो नाबार्ड उन दिक्कतों को सुलझाने में भी मदद करेगा।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने मंच से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का एसीपी लक्ष्य क्या है और कितने नए किसानों को वित्तपोषित किया गया है और कितने पुराने किसानों को वित्तपोषित/रोलओवर किया गया है?

  उन्होंने आगे कहा कि जमीनी स्तर पर यह देखा गया है कि अधिकतम केसीसी ऋण केवल उन्हीं किसानों को प्रदान किया जा रहा है जो अपने मौजूदा ऋण खातों में राशि जमा करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप नए किसान वित्त पोषित नहीं हो पा रहे हैं। माननीय मंत्री ने यह भी जानना चाहा कि झारखंड राज्य में कितनी महिला किसानों को केसीसी का लाभ मिला है?

  - झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने माननीय मंत्री को अवगत कराया कि चूंकि **Land Holding** परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम होते है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड से पुरुष सदस्य को वित्त पोषित किया जा रहा है, हालांकि, उन्होने बताया कि बैंक महिलाओं को भी वित्त पोषण कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण

स्वरूप आगे बताया कि, 90 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को **JRG** बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 9 लाख महिलाएं हैं उनमें से 3 लाख महिलाएं एसएचजी ऋण के माध्यम से खेती की गतिविधियों के लिए अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर रही हैं इसलिए, इस तरह महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि गतिविधियों में भी शामिल हो रही हैं क्योंकि **land holding** उनके नाम पर नहीं है इसलिए उन्हें केसीसी नहीं दिया जा सकता है।

- श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि चूंकि प्रमुख संपत्ति दस्तावेज परिवार के पूर्वजों के नाम पर होती हैं, इसलिए परिवार के अनुसार जमीन का कुछ हिस्सा परिवार की बेटी और बहू का भी है, इसलिए, पारिवारिक सूची दस्तावेज के आधार पर महिलाओं को भी केसीसी ऋण दिया जा सकता है, इससे समाज में महिला सशक्तिकरण भी होगा। माननीय मंत्री ने कहा कि उपरोक्त सभी के पीछे का कारण महिलाओं को बढ़ावा देना और सशक्त बनाना है।
- श्री कार्तिकेयन ने कहा कि हमारे लिए दो कार्य बिंदु हैं जिन्हें अगली एसएलबीसी बैठक तक शामिल किया जाना है पहला, चालू वित्तीय वर्ष में नए केसीसी ऋण के आंकड़े को शामिल करना, दूसरा, नए केसीसी ऋणियों में से महिला ऋणियों के आंकड़े उपलब्ध कराना।

(एक्शन- एसएलबीसी एवं समस्त बैंक)

- महाप्रबंधक, एसएलबीसी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में केसीसी फसल ऋण का लक्ष्य 23,100 करोड़ रखा गया है, जिसमें से सितंबर 2024 तक सभी बैंकों ने 7,399 करोड़ प्राप्त भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होने बताया की 2.40 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को भी वित्त पोषित किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24,600 एसएचजी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाएं कृषि संबधि ऋण का उपभोग कर रही हैं साथ ही साथ बैंक फसल के लिए उनके पतियों को भी ऋण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आगे बताया कि बैंक महिलाओं को पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए केसीसी ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री चौधरी ने सदन को बताया कि आरबीआई के **LBS** मास्टर सर्कुलर के अनुसार 40% से कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों को ऋण जमा अनुपात पर विशेष उप समिति की बैठक बुलाने की जरूरत होती है, किन्तु सिमडेगा (31.24%) और पश्चिमी सिंहभूम (23.37%) जिलों में ससमय यह बैठक नहीं हो पाई थी किन्तु हाल ही में यह बैठक कर ली गई है।

  बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने दोनों जिले के एलडीएम से ऋण जमा अनुपात कम होने का मुख्य कारण पूछा, इस पर सिमडेगा के एलडीएम ने बताया की जिले में ऋण प्रवाह हो रहा है किन्तु छोटे टिकिट साइज़ में। उन्होने कहा कि क्यूंकी सिमडेगा जिले में किसी भी तरह के बड़े उद्योग नहीं है और न ही लगाए जा रहे हैं इस कारण बड़े ऋणों कि संख्या जिले में कम है।

  श्री कार्तिकेयन ने कहा कि यदि जिला किसी बुनियादी ढांचे **(infrastructural issues)** के मुद्दे का सामना कर रहा है तो उसे डीएलसीसी की बैठक में उठाया जाना चाहिए और राज्य स्तर पर इसे उठाने के लिए एसएलबीसी को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने एलडीएम सिमडेगा को जिले में वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

  एलडीएम सिमडेगा ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यदि ये समूह स्वीकृत राशि का उपयोग कर सकें तो जिलों के ऋण जमा अनुपात में सुधार होगा।

इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने जवाब दिया कि 30 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात स्वीकार्य नहीं है और इन मुद्दों को उचित स्तर पर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि एसएचजी द्वारा उपयोग कम है तो एलडीएम को एक शिविर आयोजित करना चाहिए और साथ ही समूहों को प्रशिक्षित करने की ओर भी काम करना चाहिए, एलडीएम इसके लिए नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। श्री सिंह ने आगे कहा कि राज्य में बाधाएं हैं, इसलिए हमारा ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत है, वहीं राष्ट्रीय औसत लगभग 87 प्रतिशत है, इसकेलिए हमें **balanced approach** के साथ समयबद्ध कार्य योजना बनानी होगी ताकि अनुपात को बढ़ाया जा सके। उन्होंने मूल कारण विश्लेषण की भी वकालत की ताकि जिले में किसी भी समस्या के पीछे के कारण की पहचान कर उसका समाधान किया जा सके।

(एक्शन- समस्त जिले जहां ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है)

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कहा कि कम ऋण जमा अनुपात पर सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और समिति की एक बैठक भी हुई थी, उन्होंने सचिव वित्त विभाग से अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो कम ऋण जमा अनुपात की अगली बैठक इन सभी जिलों में आयोजित की जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इन बैठकों में यह देखा जाना चाहिए कि, इन क्षेत्रों में किन गतिविधियों को वित्तपोषित किया जा सकता है। श्री जहांगीरदार ने कहा कि झारखंड में मत्स्य पालन की व्यापक संभावनाएं हैं क्योंकि राज्य में विशाल जलाशय हैं साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तसर का 70 प्रतिशत उत्पादन झारखंड में हो रहा है, लेकिन बुनाई की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ या बिहार में होती है, साथ ही झारखंड लाह के उत्पादन में अग्रणी है, हालांकि झारखंड में इसकी कोई **refining units** नहीं हैं।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

- सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने एलडीएम सिमडेगा द्वारा, जिले में ऋण उपभोग की कम मांग होने, के बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं जिलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान काफी सक्रिय हैं और ये संस्थान 30 प्रतिशत की दर पर भी ऋण दे पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये एनबीएफसी इन जिलों में प्रवेश कर और लोगों को फंडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन जिलों में ऋण देने की गुंजाइश है। उन्होंने एलडीएम से इन पर गौर करने और फंडिंग के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

(एक्शन- एलडीएम सिमडेगा)

- माननीय वित्त मंत्री ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की, कि एनबीएफसी वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में लोगों को अधिक दर पर ऋण दे रहे हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक लोगों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उन्होने कहा कि यह उनकी विफलता को दर्शाता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वाणिज्यिक बैंकों का लोगों के साथ संबंध संतोषजनक नहीं हैं और ऋण वसूली के प्रति कुछ गैर-बैंकर का दृष्टिकोण अमानवीय है। उन्होंने आरबीआई से ऋण वसूली के ऐसे कृत्यों पर गौर करने और इसके लिए एक निर्देशिका तैयार करने का अनुरोध किया।

  भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि वसूली से संबंधित निर्देश बहुत स्पष्ट हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि, व्यक्तिगत संस्थान अपने द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बैंकों से आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू करने का आग्रह किया। श्री सिंह ने आगे बताया कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होने वाली संस्थाएं लोगों को ऋण प्रदान करती हैं और वसूली से संबंधित ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों (**Law Enforcement Agency**) की ज़िम्मेदारी होती है कि वे इनका निस्तारण करें।

श्री कार्तिकेयन ने सदन को बताया कि रिकवरी एजेंटों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि वे शाम 07 बजे के बाद और सुबह 09 बजे से पहले वसूली के लिए नहीं जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि इन रिकवरी एजेंटों को आईआईबीएफ प्रशिक्षण पास करना अनिवार्य है। उन्होंने बैंकरों और एलडीएम से अनुरोध किया कि उनके सामने आने वाली ऐसी किसी भी घटना को डीएलसीसी और एसएलबीसी बैठक में उठाया जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- माननीय वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि जमीनी स्तर की शाखाएँ और जिला-स्तरीय बैंकर्स समितियाँ भी अमानवीय व्यवहार करने वाले रिकवरी एजेंटों को नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए उन्होने सुझाव दिया की भारतीय रिज़र्व बैंक को इन रिकवरी एजेंटों के अमानवीय व्यवहार के संबंध में अपने दिशानिर्देशों के साथ साथ सभी जिला आयुक्तों को एक पत्र लिखें ताकि जिला आयुक्त ऐसे रिकवरी एजेंट के विरुद्ध उचित कारवाई कर सके।

(एक्शन-भारतीय रिजर्व बैंक)

- श्री राधा कृष्ण किशोर ने उन जिलों में वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाने के संबंध में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उठाए गए बिंदु पर प्रकाश डाला, जहां ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत अंक से नीचे है, उन्होंने कहा कि वित्त विभाग अत्यधिक बोझ में है और यह संभव नहीं है विभाग ऐसी बैठक बुला सके।

  उन्होने आगे कहा की राज्य के प्रमुख बैंकों का कृषि ऋण, कुल ऋण के 7-8 फीसदी से भी कम है, इनमे से कुछ प्रमुख बैंक हैं: ***पीएसबी, आईओबी, एसबीआई, केनरा, बैंक ऑफ बरोदा, पीएनबी, यूको, यूबीआई, करूर वैश्य बैंक व जम्मू और कश्मीर।*** उन्होंने अग्रणी बैंक से आग्रह किया कि वे एक उप-समिति का गठन करें और बैंक को उनके खराब प्रदर्शन के बारे में सूचित करें और बैंकों को राज्य औसत के अनुरूप अपने प्रदर्शन में सुधार करने की सलाह दें।

(एक्शन-एसएलबीसी एवं ऊपर बताए गए बैंक)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि कृषि पर एक उप-समिति पहले से ही गठित है और इस उप समिति कि बैठक नाबार्ड कार्यालय में आयोजित की जाती है। उन्होने कहा कि इस बैठक में हम प्रत्येक बैंक के डेटा का विश्लेषण करते हैं किन्तु बैंकों द्वारा दिया गया केसीसी डेटा त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

  उन्होने आगे कहा कि राज्य के बैंक अपने डाटा में केसीसी ऋण के तहत अपना प्रति खाता औसत 12,520 से लेकर 7,60,000 तक दर्शा रहे हैं जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्यूंकी नाबार्ड के (**Unit Cost**) में प्रति एकड़ गैर-सिंचित भूमि के लिए 27,000 रुपये और सिंचित भूमि के लिए 30,000 रुपये का उल्लेख किया गया है। उन्होने बैंकों को अपने डेटा की जांच करने की आवश्यकता बताई कि वे किस तरह इकाई लागत राशि (**Unit Cost**) से कम फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां उल्लिखित डेटा गलत है, ***इसलिए, उन्होंने सभी बैंकों से अपने डेटा की जांच करने का अनुरोध किया और सार्थक चर्चा के लिए उप-समिति की बैठकों में वरिष्ठ स्तर के बैंकरों (न्यूनतम स्केल 4) की भागीदारी के लिए भी बैंकों से अनुरोध किया।***

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा उठायी गयी बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उप समिति की बैठकें राज्य के विभिन्न एजेंडों की समीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेकर चेकर अवधारणा के साथ सही डेटा बनाए रखा जाना चाहिए और बैंकों द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP**) भी बनाए रखी जानी चाहिए ताकि स्थानांतरण की दशा में सही डेटा प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा न आए। श्री

सिंह ने आगे कहा कि कम से कम स्केल 4 और उससे ऊपर के अधिकारियों को ही उप समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण कार्य बिंदुओं पर काम किया जा सकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री चौधरी ने सदन को बताया कि बैंक ऑनलाइन डेटा तो समय पर अपलोड कर रहे हैं, किन्तु बैंकों द्वारा एसएलबीसी से संबंधित मैनुअल डेटा समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री चौधरी ने सभी बैंकों से आरबीआई के **LBS** को संदर्भित करने और तिमाही समाप्त होने के अगले महीने की 15 तारीख तक डेटा जमा करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य का ऋण जमा अनुपात **50.22** प्रतिशत है वहीं राष्ट्रीय औसत **85** प्रतिशत से अधिक है, उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि राज्य का ऋण जमा अनुपात **50** प्रतिशत से राष्ट्रीय औसत तक कैसे पहुंच सके।

  भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने माननीय वित्त मंत्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि प्रारंभ में हमें 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक पहुँचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि बैंकों को अपना एनपीए स्तर पर भी ध्यान देना है। उन्होंने बताया कि राज्य ने ऋण जमा अनुपात के साथ-साथ एनपीए स्तर में भी प्रगति की है तथा ऋण जमा अनुपात में 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि उचित कार्ययोजना के साथ हम अपने ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक ला सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से इस वर्ष के अंत तक ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक सुधारने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

घ) माननीय कृषि मंत्री, झारखंड सरकार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की का सम्बोधन-

- माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि एसएलबीसी की बैठक में केवल अच्छी बातों पर ही चर्चा होती है जो की अक्सर सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहां जो भी चर्चाएँ होती है, कई बार उन पर अमल नहीं हो पता, जो राज्य के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि हमें पहले राज्य की प्रकृति को समझना होगा और बताया की झारखंड देश के सबसे अविकसित राज्यों में से एक है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के मन में बैंकों के प्रति बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए बैंकों को राज्य के लोगों के मन को समझने की जरूरत है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्रीमती शिपी नेहा तिर्की ने कहा कि "पिछले कुछ 10 से 15 वर्षों में डिजिटलीकरण में अधिक ध्यान दिया जा रहा है किन्तु क्या झारखंड राज्य के लोग इसके लिए तैयार हैं:- बिल्कुल नहीं"। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी समस्या यह है कि नीति तैयार करते समय हम देश या राज्य की केवल 20 प्रतिशत आबादी के बारे में ही सोचते हैं न की बाकी के 70-80 प्रतिशत के बारे मैं, जबकि प्रमुख ऋण संचय उन्हीं से होता है।

  उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में जहां 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और ज़्यादातार लोग मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं कर पाते ऐसी दशा में यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम ऐप्स और लैपटॉप के माध्यम से यह सोचकर काम कर रहे हैं कि वे तकनीकी अनुकूल हैं एवं हम उनकी समस्याओं का समाधान भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हितधारकों से झारखंड राज्य के लोगों की प्रवृति को समझ कर कार्य करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने बैंकिंग संवाददाता (**BC**) के काम करने के तरीके पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बीसी एजेंटों को रिकवरी एजेंट के रूप में देखा जाता है और यह हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होने आगे कहा की अगर **BC** द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाएगी तो हमारे बैंक ग्राहकों के बीच विश्वास नहीं बना पाएंगे क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि **BC** के इन कार्यों के कारण बैंकों के बारे में बहुत गलत संदेश जा रहा है साथ में बैंकों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। उन्होंने इन बैंकिंग संवाददाताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर जोर दिया, साथ ही इन पर चेकपॉइंट भी लागू किये जाने की भी बात सभा के समक्ष राखी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में ऋण जमा अनुपात कम होने का प्रमुख कारण भूमि की अनुपलब्धता है जो की सीएनटी/एसपीटी एक्ट की वजह से है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को समय-समय पर उठाया जाता रहा है लेकिन हम अभी भी आदिवासी लोगों के लिए इस पर एक नीति विकसित करने में विफल रहे हैं। उन्होंने सदन को एक टीम के गठन और एक नीति बनाकर इस पर काम करने का सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जब तक हम इस मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे तब तक हमारे राज्य का ऋण जमा अनुपात नहीं बढ़ेगा। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट के दायरे में आने वाले लोगों के लिए प्रथम स्तर का मसौदा तैयार कर अगली एसएलबीसी बैठक में रखा जाये भले भी वह डमी ड्राफ्ट हो।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने झारखंड राज्य में बैंकिंग नेटवर्क की अपर्याप्त-पहुँच का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे भी बैंक हैं जिनकी उपलब्धता ग्रामीण इलाकों में नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि लापुंग ब्लॉक में 11 पंचायतें हैं, जिनकी कुल आबादी 50,000 से अधिक है किन्तु वहाँ एक ही बैंक शाखा उपलब्ध है और कोई एटीएम भी नहीं है।

उन्होंने सदन से ऐसे ब्लॉकों का पता लगाने को कहा जहां केवल एक ही बैंक शाखाएं कार्यरत हैएवं और शाखाएँ खोलने की आवश्यकता है। श्रीमति तिर्की ने कहा कि लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एटीएम सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हों।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि ग्रामीण ब्लॉकों में ऐसे छोटे उद्यमी हैं जो मोची, तुरी, बुनकर आदि का कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें एक वर्ष में 20,000 रुपये की छोटी राशि ऋण के माध्यम से देकर मदद की जानी चाहिए। उन्होंने हितधारकों से ऐसे लोगों की पहचान कर वित्तपोषण करने का आग्रह किया, जो पारंपरिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन को केसीसी ऋण माफी से संबन्धित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कर्जमाफी इतने ज्यादा तर्ज पर हो रही है तो बैंक उन किसानों का पुनर्वित्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माननीय कृषि मंत्री ने ऋण माफी के लभूकों के प्रति बैंकर्स के असंवेदनशील व्यवहार के प्रति नाराजगी व्यक्त की , इस संदर्भ में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा कि बेरो शाखा से संबन्धित एक घटना का उल्लेख किया । उन्होंने बैंकों से लोगों के और संवेदनशील होने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय कृषि मंत्री के संबोधन के बाद श्री कार्तिकेयन ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बिंदु उठाये हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सदन को बताया कि सभी बैंकों अधिकारियों को ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ साल पहले राज्य का ऋण जमा अनुपात 39.21 प्रतिशत था जो बढ़कर 50.22 प्रतिशत हो गया है जो यह दिखाता है कि राज्य में बैंक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय औसत 87 फीसदी है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कार्तिकेयन ने बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ खराब व्यवहार के मुद्दे पर कहा कि बैंकर्स द्वारा ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं साथ ही उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी शाखाओं को ग्राहक सेवा और व्यवहार के संबंध में उचित दिशानिर्देश दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कार्यकारी निदेशक ने बैंकिंग उद्योग में बैंकिंग संवाददाताओं की नियुक्ति के संबंध में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट्स द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले, बीसी को 100 घंटे का प्रशिक्षण लेना होता है। उन्होंने आगे सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को बीसी की ऐसी किसी भी दुर्भावनापूर्ण घटना से एसएलबीसी को अवगत कराने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने लापुंग ब्लॉक में बैंकिंग सुविधा की कमी के संबंध में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि एसएलबीसी इस मामले को बैंक के साथ साझा कर उचित कारवाई करेगा। इस क्रम में उन्होंने यह भी बताया कि डीएफ़एस द्वारा चिन्नहित झारखंड राज्य के सभी 1962 गांवों को किसी भी एक बैंकिंग सुविधा द्वारा कवर कर लिया गया है।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- श्री कार्तिकेयन ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर माननीय कृषि मंत्री के संबोधन पर अपनी बात रखी जहां उन्होने बताया कि सभी बैंकों में संरचित ओटीएस नीति लागू है। उन्होने माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाए गया किसानों के प्रति अनुचित व्यवहार पर भी अप्रसन्नता व्यक्त कि, साथ ही साथ उन्होने बैंको से किसानों को उचित सेवा उपलब्ध कराने और डिजिटलीकरण में उनकी मदद करने को बैंकर्स का कर्तव्य बताया । उन्होंने सभी एलडीएम से गांवों में डिजिटल बैंकिंग पर परामर्श सेवाएं सुनिश्चित करने की सलाह दी।

(एक्शन- समस्त एलडीएम)

- श्री जहांगीरदार ने बुनकरों, हस्तशिल्प जैसे कार्य में लगे लोगों पर माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाई गई चिंता पर बात की और बताया कि नाबार्ड **OFPO** को बढ़ावा दे रहा है जहां बुनकरों, कारीगरों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादकों को एक कंपनी बनाने के लिए एकजुट किया जा रहा है और ऐसा ही एक उदाहरण सरायकेला में है जिले जो सुप्रा और अन्य हस्तशिल्प बनाते हैं, जो पहले 1500 से 2000 रुपये प्रति माह कमाते थे अब वे 10000 से 15000 रूपये प्रति माह से अधिक कमा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसा ही एक और उदाहरण गोड्डा जिले के बघैया का है, जहां तसर रेशम की बुनाई करने वाले लोगों को नाबार्ड द्वारा टाई बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें पूरे देश से ऑर्डर मिल रहे हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ङ) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार का सम्बोधन-

- सुनील कृष्ण जहागीरदार ने नाबार्ड के सुझावों पर ध्यान देने के लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया और बताया कि झारखंड सरकार द्वारा किया गए नीतिगत हस्तक्षेप, जिनके तहत एफपीओ को 15 लाख रुपये की इक्विटी सहायता, एसएचजी को इक्विटी सहायता और कृषि का सौर्यीकरण प्रदत्त हो रही हैं, वे राज्य के उत्थान के लिए कारगर होंगे।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि झारखंड राज्य में मत्स्य पालन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ बैंक इसके तहत वित्त पोषण करने मके लिए अनिच्छुक दिखाई देते हैं, इसलिए इस योजना को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने एक गारंटी फंड का सृजन किया है, जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि (Aquaculture) बुनियादी ढांचे के विकास हेतु उपलब्ध होगा। उन्होंने आगे बताया कि सहकारी समितियां, एसएचजी, किसान, निजी कंपनियां, व्यक्तिगत उद्यमियों को नाबार्ड की सहायक कंपनी NABSANRAKSHAN द्वारा 0.25 प्रतिशत के छोटे प्रीमियम पर 50 करोड़ रुपये तक के ऋण के बीमा कि सुविधा उपलब्ध होगी । उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे मत्स्य पालन हेतु बड़े पैमाने पर ऋण देने पर विचार करें क्योंकि झारखंड में इसकी अत्यंत संभावनाएं हैं।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार ने झारखंड राज्य के बैंकों को एफपीओ ऋण वितरण हेतु (46 FPO) के लक्ष्य निर्धारण हेतु ,श्री कार्तिकेयन को धन्यवाद दिया और उन्हें यह घोषणा करते हुए अपनी खुशी जाहीर कि बैंक इन एफपीओ को वित्त पोषित कर रहे हैं। उन्होने सभा को ये भी बताया की गोड्डा के 05 में से 04 एफ़पीओ को 10-20 लाख रूपय तक वित्तपोषित किया जा चुका है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने महुआ को मुख्यधारा के उत्पाद के रूप में मंजूरी देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि पिछले साल एसएलबीसी की बैठक में नाबार्ड ने राज्य सरकार को महुआ को मुख्यधारा में लाने का सुझाव दिया था क्योंकि महुआ से शराब का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका उपभोग ज़्यादातार आदिवासी लोग करते हैं और वे ही राज्य की ज़्यादातार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उन्होने कहा की जब महुआ मुख्यधारा में आएगा तो इसका असर दिखेगा और इससे राज्य सरकार की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ लोगों को भी लाभ होगा।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार ने बताया कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट के कारण राज्य में बैंकों को ऋण देने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को राज्य **में भूमि बैंक विकसित करने पर अवश्य विचार करना चाहिए**, इससे बैंकों को एमएसएमई और अन्य उद्योगों को ऋण प्रदान करने में मदद मिलेगी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने बताया कि राज्य में वेयरहाउस/गोदाम हेतु वित्तपोषण की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की उत्पादन के एवज में मात्र दस प्रतिशत भंडारण क्षमता है, बाकी नब्बे प्रतिशत खाद्य पदार्थ भंडारण के लिए दूसरे राज्य में भेजे जा रहे हैं। श्री जहागिरदार ने बताया कि 10,000 मीट्रिक टन गोदाम के निवेश के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लगभग 1 करोड़ ऋण की आवश्यकता होगी। उन्होने राज्य में कार्यरत बैंकों से

इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया जहां वे गोदाम के लिए वित्तपोषण कर सके। उन्होंने कहा कि नाबार्ड सलाहकार के तौर पर साथ ही व्यक्तिगत आधार पर भी बैंकरों को समर्थन प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

च) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन-

- भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने सभी हितधारकों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और कहा कि नए साल की शुरुआत नए संकल्प और नई चीजें करने का प्रण का होता है इसलिए हमें नई चीजों से नव वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। श्री सिंह ने माननीय वित्त मंत्री, सचिव वित्त विभाग एवं श्री एम कार्तिकेयन का साधुवाद किया की इन्होने इस बैठक के सभी विचार विमर्शों को काफी गंभीरतापूर्वक सुना और अपनी उचित प्रतिकृया भी दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने सदन को बताया कि एसएलबीसी की बैठक में अच्छे बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि अब इस बैठक में गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने वक्तव्य छोटे कर दिए ताकि व्यावसायिक सत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली एसएलबीसी बैठक में पूर्व वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराँव ने विभिन्न एजेंडों पर हुई विस्तृत चर्चा की सराहना की थी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- क्षेत्रीय निदेशक ने राज्य के बैंकों से कहा कि जहां भी कोई समस्या हो उन्हें उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे अपना डेटा निर्धारित समय पे जमा करें और अपने डेटा को विस्तृत बनाने का प्रयास करें ताकि उनके आधार पर राज्य की वर्तमान जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस वर्ष अपना 90वाँ स्थापना दिवस मना रहा है और यह गर्व की बात है कि लगातार दो वर्षों से वैश्विक संस्थायों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को ***सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक*** के रूप में सम्मानित किया जा रहा हैं इसके साथ ही उन्होने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक को लंदन में ***सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधक सेंट्रल बैंक*** से भी सम्मानित किया गया है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने 90वें स्थापना दिवस को पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मना रहा है जिसमें किसान, छात्र, छोटे उद्यमी, वृद्धजन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरबीआई ने कॉलेज-स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें पुरस्कार राशि अत्यंत अधिक थी , इसमें 1,400 कॉलेजों से 1.5 लाख स्नातक छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने आगे कहा कि अंतिम राउंड 06 दिसंबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया और विजेता टीम को 17 लाख की पुरस्कार राशि मिली।

  श्री सिंह ने बताया कि आरबीआई रांची क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य स्तर पर कई तरह की पहल करेगा ताकि राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा के समय झारखंड का नाम सकारात्मक रूप से शीर्ष पर आ सके और आरबीआई द्वारा की गई ऐसी ही एक पहल राज्य में स्वच्छ नोट नीति है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी राज्य ने स्वच्छ नोट नीति अभियान शुरू नहीं किया है और राज्य के बैंकों के सहयोग से झारखंड पहला राज्य बन

सकता है, जहां स्वच्छ नोट और सिक्कों की उपलब्धता हो। उन्होंने आरबीआई द्वारा सलाह दिए जाने पर स्वच्छ मुद्रा शिविर आयोजित करने के लिए बैंकों की सराहना की और बैंकों से मार्च 2025 तक स्वच्छ मुद्रा शिविर जारी रखने का आग्रह किया ताकि यह कहा जा सके कि झारखंड अपने लोगों को स्वच्छ मुद्रा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने सदन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र केंद्रीय बैंक है जो बुनियादी कार्य के साथ-साथ विकासात्मक कार्य भी ज़ोर शोर से करता है। उन्होने आगे कहा कि अन्य केंद्रीय बैंक ऐसा कार्य नहीं करते क्योंकि उन देशों को प्रायः इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रिज़र्व बैंक को पूर्ण सेवा केन्द्रीय बैंक कहा जाता है। श्री सिंह ने आगे बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची कार्यालय द्वारा राज्य के **90 शिक्षण संस्थानों में वित्तीय शिक्षण व समावेशन संबंधित जागरूकता कार्यक्रम** करने का निश्चय किया गया है ताकि छात्र प्रारंभिक चरण में ही वित्तीय सुविधाएं और सावधानियां सीख सकें। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए वित्तीय जागरूकता सबकी सुरक्षा और 11-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए साइबर शिक्षा साइबर सुरक्षा जैससी प्रतयोगिताओं का आयोजन आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। उन्होने बताया यह पहल ,बाकी राज्यों में नहीं की जा रही है।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने यह जानकारी दी नव वर्ष के उपलक्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची कार्यालय द्वारा 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक **90 दिवसीय 'स्वास्थ्य सह संसाधन संरक्षण संकल्प'** की अभूतपूर्व पहल की गयी है। उन्होने बताया कि इसके अंतर्गत **'एक ध्येय दस सूत्र'** साझा करते हुए स्वैच्छिक रूप से कार्यस्थल पर बिजली की बचत, अन्न व अन्नदाता का सम्मान, दूसरे जरूरतमंदों को वस्त्रदान, जल संरक्षण, वायु शुद्धता, नित्य पैदल चलने, बच्चों व बुजुर्गों से बातचीत, आधुनिक उपकरणों से परे 'शून्य प्रहर', कागज और प्लास्टिक के प्रयोग को यथासंभव कम करने का आह्वान किया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने बैंकों को अपनी शाखाओं और लोगों के प्रति संवेदनशील और मानवीय रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग संवाददाताओं पर विस्तृत दिशानिर्देश हैं और आशा जतायी कि बैंक इनका पालन भी कर रहे होंगे, हालांकि जमीनी स्तर पर इनका अनुपालन बैंकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है। उन्होंने सभी बैंकों को समय-समय पर अपने बीसी की समीक्षा करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- क्षेत्रीय निदेशक ने सदन को Public Tech Platform, Frictionless Credit के बारे में जानकारी दी साथ ही उन्होने बताया की इसका नाम बदलकर Unified Lending Interface हो गया है। श्री सिंह ने बताया कि वित्त विभाग के सचिव के साथ बैठक के समय हमने आरबीआई इनोवेशन हब को आश्वासन दिया था कि झारखंड राज्य उपरोक्त कार्यान्वयन के लिए 06वां राज्य होगा, किंतु, समय के साथ 07 राज्य पहले ही इसे लागू कर चुके हैं, इसलिए झारखंड के पास अब इसका कार्यान्वयन करने वाला 12वां राज्य बनने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण लंबित है जिसके माध्यम से बैंकर ऑनलाइन ऋण प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से यूएलआई लागू करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ श्री सिंह ने कहा कि RBIH द्वारा ये बताया गया है कि झारखंड राज्य के डेयरी से संबंधित रिकॉर्ड गुजरात के रिकॉर्ड के अनुरूप हैं तथा गुजरात में डेयरी से संबंधित ऋण को ऑनलाइन प्रक्रिया से वितरित किया जा रहा है, इस पर क्षेत्रीय निदेशक ने कहा की कृषि और संबद्ध गतिविधियों के ऋणों के लिए यदि ऑनलाइन प्रक्रिया राज्य में लागू हो जाए तो महिलाए, जो पशु का पालन पोषण करती है उन्हें बैंकों द्वारा पारदर्शी एवं मानवीय हस्तक्षेप के बिना कम से कम समय में डिजिटल माध्यम से बाधारहित ऋण मुहैया कराया जा सकेगा। उन्होने संबधित विभाग से इसे जल्द से जल्द लागू कराने का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ श्री सिंह ने कहा कि महुआ से शराब बनाने के अलावा, इसका उपयोग गेहूं के साथ आटा बनाने में भी किया जा सकता है साथ ही उन्होंने कहा कि महुआ को तीसी के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होने महुआ का इस्तमल एवं विपणन शराब के अलावा इन रूपों में भी करने की सलाह सभा को दी।

(एक्शन- राज्य सरकार एवं नाबार्ड)

छ) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन-

❖ वित्त विभाग के सचिव ने बैंकों और एलडीएम की उनकी उपलब्धियों के लिए सराहना की और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस मंच से साझा करने की जरूरत है जिनमें से एक है गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तपोषण। उन्होंने बताया कि अब तक 1952 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और उनमें से 1414 आवेदन अब भी बैंक के पास लंबित हैं। उन्होंने बैंकों से छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया क्योंकि यह उनकी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि वित्त विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है, जिसके माध्यम से बैंकों में जमा सरकारी राशि के बारे में वास्तविक समय का डेटा जाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने पांच बैंकों से आईएफएमएस से जुड़ने का अनुरोध किया है, लेकिन फिलहाल केवल ***बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया*** ही ऐसा कर पाए हैं। उन्होंने ***आईसीआईसीआई बैंक***, ***पीएनबी और एचडीएफसी बैंक*** को आईएफएमएस से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने आगे बताया कि विभाग शीघ्र ही सभी 13 सूचीबद्ध बैंकों को आईएफएमएस से जुड़ने के लिए पत्राचार करेगा।

(एक्शन- आईसीआईसीआई, पीएनबी और एचडीएफ़सी बैंक)

❖ सचिव, वित्त विभाग ने सदन को अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल कार्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने के संबंध में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यूबीआई जोनल कार्यालय को स्थानांतरित करने का मामला राज्य सरकार के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जोनल कार्यालय झारखंड में ही रहना चाहिए क्योंकि झारखंड राज्य को जो लाभ इसके यहाँ स्थित होने से मिल रहा ,वह अति महत्वपूर्ण है।

(एक्शन- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

❖ श्री प्रशांत कुमार ने वित्तीय धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आरबीआई लगातार अपना जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, फिर भी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक प्रोटोकॉल या दिशानिर्देश विकसित करने का सुझाव दिया, जहां इससे प्रभावित ग्राहकों की रकम को आसानी से वसूला जा सके।

(एक्शन- समस्त हितधारक)

❖ श्री कुमार ने सरकारी खाते यानी जेबीवीएनएल और जेटीडीसी में हुई बड़ी धोखाधड़ी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन सरकारी खातों की सावधि जमा में धोखाधड़ी की गई है, जो लगभग 100 करोड़ रुपये की है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज करा ली गई है और आपराधिक जांच भी चल रही है किन्तु बात यह है कि इस धोखाधड़ी की वित्तीय देनदारी कौन लेगा? उन्होंने आगे कहा कि यदि प्रथम दृष्टया में यह धोखाधड़ी सरकारी एजेंसी द्वारा पायी जाती है तो नुकसान उन्हें वहन करना होगा किन्तु यदि प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि धोखाधड़ी बैंक पक्ष की लापरवाही के कारण हुई है तो संबंधित बैंक को नुकसान उठाना चाहिए।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ज) कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया श्री एम कार्तिकेयन का सम्बोधन-

❖ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक और बैठक के अध्यक्ष ने ऋण जमा अनुपात में 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने के लिए सभी हितधारकों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रत्येक एसएलबीसी में बहुत सारे सुझावों के साथ बैठक में सुधार हो रहा है और हम एक सामूहिक टीम के रूप में इन रणनीतियों को लागू कर रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री, वित्त सचिव, सीजीएम नाबार्ड और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री कार्तिकेयन ने वार्षिक ऋण योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति के लिए बैंकों और एलडीएम की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल एसीपी लक्ष्य 1.26 लाख करोड़ रखा गया है और सितंबर तक राज्य ने उसका 55 प्रतिशत हासिल कर लिया है।

उन्होंने आगे बताया कि सितंबर तिमाही की एसएलबीसी बैठक नवंबर माह में बुलाई जानी थी, किन्तु आदर्श आचार संहिता के कारण यह जनवरी माह में सम्पन्न हो रही है हालांकि 90वीं एसएलबीसी बैठक भी इसी चालू तिमाही में बुलाई जानी है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य ने सितंबर तक ही 55 प्रतिशत एसीपी लक्ष्य हासिल कर लिया है और अनुमान है कि दिसंबर तक 85 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया होगा, इसलिए सभी बैंक और एलडीएम को ये प्रयास करना चहये कि राज्य अपना **ACP** का लक्ष्य फ़रवरी माह तक ही हासिल कर ले।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

❖ कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि झारखंड राज्य ने **PMJDY, PMSBY, PMJJBY** और **APY** के तहत शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी योजनाओं में राज्य ने 100 प्रतिशत से अधिक कि उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों, एलडीएम एवं बीसी को बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ श्री कार्तिकेयन ने कहा कि बैठक में माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाई गई चिंताएं बहुत गंभीर हैं। उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मुद्दे न उठें और अगर इस तरह कि जानकारी उनके समक्ष आती है तो बैंकों को उनको संज्ञान में लेते हुए उनका त्वरित समाधान करना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने कहा कि एफपीओ के वित्तपोषन के लिए राज्य में बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्जमाफी के कारण बैंकों के कृषि पोर्टफोलियो में गिरावट आयी है। उन्होंने आगे कहा कि जब झारखंड की 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है, तो कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धि केवल 32 फीसदी नहीं होनी चाहिए , उन्होने बैंकों को

इस पर आत्मचिंतन कर, बैंकों और एलडीएम से कृषि वित्त के लिए काम करने और कृषि संबंधी योजनाओं में अस्वीकृति प्रतिशत कम करने का आग्रह किया।

श्री कार्तिकेयन ने एफपीओ के लिए 15 पेज के आवेदन पत्र पर भी अपनी चिंता जताई और बैंकों से आग्रह किया कि वे एफपीओ के लिए अपने आवेदन पत्रों का पुनरावलोकन कर उन्हें सरल बनायें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन ने बिरसा किसान एकीकृत पोर्टल विकसित करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को वास्तविक किसानों को वित्तपोषण करने में मदद मिलेगी साथ ही उन्होंने बैंक से वित्तपोषण के लिए इस पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे महिला किसानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें जहां एनपीए प्रतिशत कम रहने की उम्मीद है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया ने निर्यात वित्त पर सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा होती हैं, जिंका लगभग 2 मिलियन टन अधिशेष एवं निर्यात उपयुक्त होता है , किन्तु केवल कुछ ही बैंक निर्यातकों को वित्त पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बैंकों से निर्यात के लिए वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कार्तिकेयन ने बताया कि झारखंड राज्य में प्रति एसएचजी औसत ऋण राशि 2.25 लाख रुपये है, जबकि राष्ट्रीय औसत फंडिंग प्रति एसएचजी 3.50 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि उक्त आंकड़े ये दर्शाते हैं कि झारखंड राज्य में प्रति एसएचजी वित्त की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। श्री कार्तिकेयन ने बैंकों से महिला स्वयं सहायता समूहों की औसत ऋण राशि बढ़ाने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कार्यकारी निदेशक ने वित्त विभाग के सचिव द्वारा साइबर फ्रॉड पर उठाये गये मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सदस्य हैं और यह भी बताया कि प्रतिदिन बैंकों को साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 3,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कई जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने के बाद भी इन आकड़ों में कमी नहीं हो रही है, इसलिए उन्होने सभी एलडीएम से आग्रह किया की वे हर बैठक या क्षेत्र में संक्षिप्त जागरूकता शिविर आयोजित करने का काम करे।

  उन्होंने सदन को बताया कि सभी बैंकों के पास साइबर धोखाधड़ी के लिए बीमा पॉलिसियां हैं, जहां व्यक्ति को एफआईआर कॉपी जमा करने के साथ साथ बीमा कंपनी को घटना की जानकारी प्रदान करनी होती है, जिसके बाद कंपनी उन सभी मामलों में नुकसान की राशि वहन करती है जहां ग्राहक द्वारा बीमा लिया गया हो। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी साइबर धोखाधड़ी की कोई शिकायत आती है तो बैंक को ग्राहक से 1930 में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहना चाहिये, ताकि उक्त राशि में दूसरे बैंक द्वारा रोक लगायी जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

- श्री कार्तिकेयन और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ने बैंकों से मार्च 2025 तक ऋण जमा अनुपात को 55 प्रतिशत तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जिस पर सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों ने आश्वस्त किया की वे इस आंकड़े को हासिल करेंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एलडीएम)

झ) माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर का सम्बोधन-

- माननीय वित्त मंत्री ने एसएलबीसी बैठक का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल कार्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने पर चिंता व्यक्त की और बैंक के संबंधित राज्य प्रमुख से इसका कारण पूछा।

  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि जोनल कार्यालय के स्थानांतरण के संबंध में निर्णय बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यूबीआई की झारखंड में 120 शाखाएं हैं जो दो क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित हैं, एक धनबाद में है जिसका नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक करते हैं, दूसरा रांची में है जिसका नेतृत्व उप महाप्रबंधक करते हैं साथ ही उन्होने बताया कि जोनल कार्यालय का नेतृत्व महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है और जोनल कार्यालय का मूल कार्य पर्यवेक्षण **(supervision)** का है और ये कार्यालय सीधे तौर पर अक्सर ग्राहक संपर्क में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने आगे माननीय वित्त मंत्री जी को बताया कि ऐसा नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया झारखंड राज्य को नजरअंदाज कर रही है, बैंक की राज्य में विस्तार कि कई योजनाएँ है जहां वर्तमान तिमाही में बैंक द्वारा सात नए शाखाएं खोलने की योजना बनी है साथ ही बैंक ने एक मध्य-कॉर्पोरेट शाखा भी खोला है जिसका उद्देश्य उच्च ग्राहकों को सेवा प्रदान करना है। उप महाप्रबंधक ने आगे बताया कि इन दोनों के अलावा, बैंक के दो एमएसएमई ऋण केंद्र हैं जो मुख्य रूप से एमएसएमई ऋण वित्तपोषण पर केंद्रित हैं।

  माननीय वित्त मंत्री ने जोनल कार्यालय को बिहार में स्थानांतरित करने का कारण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक से पूछा, जिस पर उप महाप्रबंधक ने जवाब दिया कि मुख्य कारण यह है कि बिहार में बैंक की 230 शाखाएँ हैं और झारखंड में 120 शाखाएँ हैं, इसलिए बेहतर नियंत्रण के लिए यह एक रणनीतिक निर्णय है जो बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा लिया गया है। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री को आश्वासन दिया कि आंचलिक कार्यालय के स्थानांतरण से झारखंड के लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि राज्य में अभी भी उप महाप्रबंधक होंगे जो बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के निर्बाध्य रहने को सुनिश्चित करेंगे।

- माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 120 शाखाएँ हैं, जिनका कुल कारोबार 17,000 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल जमा 13,555 करोड़ रुपये है, जबकि बिहार राज्य में जहाँ कुल 236 शाखाएँ हैं, उनकी कुल जमा राशि 15,743 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि राज्य की 120 शाखाओं में 13,555 करोड़ रूपय जमा है वहीं 236 शाखाओं के साथ बिहार राज्य में 15,743 करोड़ जमा है, तो जोनल कार्यालय को बिहार स्थानांतरित करने का क्या कारण है।
- माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन बाहर से प्रतिष्ठित संस्थानों को लाने के लिए किया गया था न कि स्थापित संस्थानों को वापस बाहर भेजने के लिए। माननीय वित्त मंत्री ने जोनल कार्यालय के स्थानांतरण के संबंध में बैंक के उच्च अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है लेकिन यह कृत्य झारखंड के 3.50 करोड़ लोगों की भावनाओं के खिलाफ है।
- श्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि यूनियन बैंक को राज्य में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, राज्य में उसका ऋण जमा अनुपात मात्र 36 प्रतिशत है, वह भी आंचलिक कार्यालय की मौजूदगी में। उन्होंने आगे कहा कि जोनल कार्यालय की अनुपस्थिति में बैंक का प्रदर्शन क्या होगा, इसलिए उन्होंने बैंक से अपने जोनल कार्यालय को स्थानांतरित न करने का आग्रह किया।

(एक्शन- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

- माननीय वित्त मंत्री ने राज्य के अग्रणी बैंक को सलाह दिया कि वे यूनियन बैंक के संबंधित प्राधिकारी को एक पत्र लिखें जिसमें इस एसएलबीसी बैठक में उनके और सचिव वित्त विभाग द्वारा जोनल कार्यालय को पटना स्थानांतरित करने के संबंध में की गयी टिप्पणी के बारे में बताया जाए।

(एक्शन- एसएलबीसी)

- श्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि इस वर्ष झारखंड राज्य की स्थापना को 25वां वर्ष हो जाएंगे और उन्होने बताया की उनका एक मात्र एजेंडा ये है कि इस राज्य का विकास कैसे हो और उनके इस एजेंडे को पूरा करने के लिए बैंकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। श्री किशोर ने बैंकरों के सामाजिक व्यवहार की सराहना की और बैंकों से ग्रामीण क्षेत्र में वित्त बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- माननीय वित्त मंत्री ने बैंकों को सुझाव दिया कि वे किसी भी ग्राहक को ऋण देने से पहले समझदारी से चयन करें ताकि इससे एनपीए स्तर पर अंकुश लगाने में मदद मिले।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री राधा कृष्ण किशोर ने अंत में किसी भी राज्य के लिए बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी राज्य के लिए ऋण जमा अनुपात महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका आर्थिक विकास अनुपात उस राज्य के ऋण जमा अनुपात पर निर्भर करता है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि जितना अधिक ऋण जमा अनुपात होगा उतना ही राज्य की अर्थव्यवस्था विकसित होगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सी एच गोपाला कृष्णा ने एस.एल.बी.सी की **89**वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

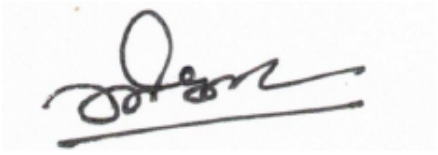

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

89वीं एसएलबीसी बैठक, सितम्बर 2024

18 जनवरी 2025, होटल बी एन आर चाणक्य , राँची□

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	वित्त मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
2	श्रीमति शिल्पी नेहा तिर्की	कृषि मंत्री	झारखंड राज्य सरकार	
3	श्री एम. कार्तिकेयन	कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय	
4	श्री प्रशांत कुमार, भा॰प्र॰से□	सचिव	वित्त विभाग, झारखंड सरकार	
5	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
6	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	निदेशक	वित्त विभाग , भारत सरकार	
7	श्री सुनील कृष्ण जहागीरदार	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
8	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया, एसएलबीसी	
9	श्री गौतम कुमार सिंह	महाप्रबंधक	नाबार्ड	9930544001
10	श्री प्रभास बोस	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9669288088
11	श्रीमती अनामिका शर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9471859925
12	श्री पी.आर. झा	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	9556910803
13	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
14	श्री कमलेश कुमार मंडल	सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, झारखंड	भारतीय स्टेट बैंक	8002504680
15	श्री सनी	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8809501850
16	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
17	श्री राजकुमार गुप्ता	महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9204756198
18	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	8709316664
19	श्री ब्रजेश्वर नाथ	सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	9981148869
20	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
21	श्री रोहित सिंह	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	8767352490
22	श्री मुकेश कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395612
23	श्री रोहित रमन	उप आंचलिक प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8889810600
24	श्री संजय कुमार मिश्रा	उप महाप्रबंधक	केनरा बैंक	7398292434
25	श्री अनुराग श्याम अम्बस्ता	मुख्य प्रबंधक	केनरा बैंक	
26	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
27	एमडी निसार अंसारी	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291937
28	श्रीमती अल्पना शर्मा	शाखा प्रबंधक	सिटी यूनियन	9959607525
29	श्रीमती ज्योति कुमारी	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	7547088880
30	श्री विनय कुमार	सीईओ	धनबाद सेंट्रल को-ऑप.बैंक	9430145773
31	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
32	श्री नवनीत गांधी	उप. उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
33	श्री चंदन कुमार	वरिष्ठ रिलेशनशिप मैनेजर	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	7763803385
34	श्री बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख, रांची	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	9038224956
35	श्री हेमन्त कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9801491770
36	श्री संजय कुमार सिंह	मुख्य प्रबंधक	इंडियन बैंक	8009888811
37	श्री मनीष कुमार	उप महाप्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	8925952845
38	श्री क़मरूल होदा	मार्केट प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9830992994
39	**अनुपस्थित**		**जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड**	**9596387070**
40	श्री फरहान जलीली	क्षेत्रीय प्रमुख	जाना लघु वित्त बैंक	8797767390
41	श्री धीरेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक, एसएलबीसी, स्थानीय प्रधान कार्या	भारतीय स्टेट बैंक	6200445070
42	श्रीमती इस्मत जहां	उप क्षेत्रीय प्रमुख	यूको बैंक	8840313015
43	श्री बिजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	9702351409
44	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8084173101
45	श्री देबज्योति कर	शाखा प्रमुख	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	8240581132
46	श्री वी विजय कुमार	शाखा प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	709119471
47	श्री दिवाकर प्रसाद	वरिष्ठ प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड,	8328492453
48	श्री सतबीर कुमार	सहायक प्रबंधक	पेटीएम भुगतान बैंक	9818611599
49	श्री आदित्य कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9697121900
50	श्री मंतोष यादव	एसडीएम	आरबीएल बैंक	7683039299
51	श्री अरुण मोहन	प्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
52	श्री शैलेन हलधर	ए.वी.पी	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7542035157
53	श्री शशि कांत	डीवाई. महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8806678811
54	श्री राजीव रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9073369980
55	श्री अभय कुमार	क्लस्टर प्रमुख	बंधन बैंक	9534130002
56	श्री रोहित कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	7012045084
57	**अनुपस्थित**		**उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड**	
58	श्री विनायक पाटिल	राज्य प्रमुख	एयरटेल पेमेंट्स बैंक	9890999888
59	श्री प्रीतम सिन्हा	सर्कल प्रमुख	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7231855238
60	श्री पिंटू कुमार सिंह	नियंत्रण प्रमुख	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	8714629246

61	श्री शैलेन्द्र झा	ए.वी.पी	फिनो पेमेंट्स बैंक	9955996520
62	श्री शिव प्रिया	राज्य प्रमुख	एस बैंक	7979962010
63	श्री अंसुल आनंद	वरिष्ठ प्रबंधक	एयू लघु वित्त बैंक	8306991860
64	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी	9073996646
65	श्रीमती निधि झुनझुनवाला	वकील	एफजेसीसीआई	9534883100
66	सी ए एम के जैन	अध्यक्ष	एफजेसीसीआई	9431170418
67	श्री एस के चौधरी	बैंकिंग प्रोफेशनल	एनएसएस हो रांची	9760245415
68	श्री धीरज	एसपीएम एफआई	जेएसएलपीएस आरडीडी	8969170434
69	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
70	श्री गीतेश कुमार झा	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
71	श्री अनुपम तेवान	उप महाप्रबंधक	बीएसएनएल	9431106665
72	श्री विवेक कुमार	वरिष्ठ मंडल अभियंता	बीएसएनएल	9431100928
73	श्रीमती असीम प्रिया आइंड	डीडीसी (इंजीनियरिंग)	कृषि विभाग	8825253010
74	श्री अरुण कुमार सिंह	अपर सचिव	आरडीडी झारखंड	9931548318
75	श्री शिवम सिंह	सचिव	जेएसआईए	9835334399
76	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
77	डॉ अनमोल कुमार लाल	उपनिदेशक	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	76554299691
78	श्री स्वप्नेश दास	सलाहकार	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	7978706979
79	श्रीमती प्रेमा होरो	प्रबंधक	सिडबी	7388777382
80	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव	कृषि विभाग	
81	श्री चंदन किशोर	परियोजना समन्वयक	झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित	9749076859
82	श्री मनोज शाहदेव	सहायक रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार सहकारी समिति	9431354135
83	श्री संजय कुमार गुप्ता	उप निदेशक मत्स्य पालन	मत्स्य पालन निदेशालय	9431176810
84	फ्लाइट लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) यू घोष	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9771431574
85	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	एनएचबी	8448291940
86	श्री के के गुप्ता	संयुक्त सचिव	भूमि राजस्व एवं पंजीयक विभाग	9431300880
87	श्री आबिद हुसैन	एलडीएम बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया	8451978491
88	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	एलडीएम चतरा	बैंक ऑफ इंडिया	8340133328
89	श्री अमित कुमार	एलडीएम धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया	8298715715
90	श्री चंद्रकांत	एलडीएम पूर्वी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	9426827987
91	श्री अमृत चौधरी	एलडीएम गिरिडीह	बैंक ऑफ इंडिया	8210169991
92	श्री पवन कुमार	एलडीएम गुमला	बैंक ऑफ इंडिया	8879743105
93	श्री राकेश आज़ाद	एलडीएम हज़ारीबाग	बैंक ऑफ इंडिया	7209822572
94	श्री ऋषिकेश कुमार	एलडीएम खूंटी	बैंक ऑफ इंडिया	7717706616
95	श्री निवास किशोर	एलडीएम कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया	9534741185
96	श्री नितिन कुमार	एलडीएम लोहरदगा	बैंक ऑफ इंडिया	9835234652
97	श्री दिलीप महली	एलडीएम रामगढ़	बैंक ऑफ इंडिया	7796504828
98	श्री अजित कुमार	एलडीएम रांची	बैंक ऑफ इंडिया	9007826480
99	श्री बरुण कुमार चौधरी	एलडीएम सरायकेला खरसावां	बैंक ऑफ इंडिया	7903255293
100	श्री सनिज़ मिंज	एलडीएम सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया	7991140367
101	श्री दिवाकर सिन्हा	एलडीएम पश्चिमी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया	8936802753
102	श्री चन्द्रशेखर पटेल	एलडीएम दुमका	इंडियन बैंक	9074485076
103	श्री चंदन चौहान	एलडीएम गोड्डा	इंडियन बैंक	7781919295
104	श्री संदु समद	एलडीएम देवघर	भारतीय स्टेट बैंक	9771435410
105	श्री एस के रंजन	एलडीएम गढ़वा	भारतीय स्टेट बैंक	9934363709
106	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	एलडीएम जामताड़ा	भारतीय स्टेट बैंक	9755305507
107	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	एलडीएम लातेहार	भारतीय स्टेट बैंक	7781011677
108	श्री धनेश्वर बेसरा	एलडीएम पाकुड़	भारतीय स्टेट बैंक	9771438410
109	श्री एंथोनी लियांगी	एलडीएम पलामू	भारतीय स्टेट बैंक	9934363710
110	श्री सुधीर कुमार	एलडीएम साहिबगंज	भारतीय स्टेट बैंक	9771438409
111	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9431787051
112	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
113	सुश्री आभा रानी सिंह	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
114	श्री अल्फ्रेड लॉरेंस बोपोई	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
115	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
116	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
117	श्री अश्वनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
118	श्री ऋषव कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
119	श्रीमती शलनी वर्मा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
120	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455